डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सेवा में,

प्राचर्य / प्राचार्या
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय
आगरा

विषयः स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनन्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र–छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आपको अगवत कराना है कि यूपीडेस्को के पत्र सं0 D/24-25/1951 दिनांक 31.08.2024 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 667 / 77–1–2024 दिनांक 27 / 08 / 2024 ण्के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध में समस्त जनपदों को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा निर्देश दिए गये हैं।

उल्लेखनीय है कि संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, तथा विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात उपकरण प्राप्त करने हेतु पात्रता की सूची में आता है।

उपरोक्तानुसार डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध सभी लाभार्थियों जिनका डाटा विभाग द्वारा लॉक किया जा चुका है तथा उनको डिवाइस वितरण होने शेष हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों को शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार **आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया** सम्पन्न करनी होगी। उक्त प्रक्रिया दिनांक 02 / 09 / 2024 से लाइव हो चुकी है। जिसके पश्चात ऐसे लाभार्थियों का डाटा जोकि सम्बन्धित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के उपरान्त संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध है वह डिवाइस वितरण हेतु जनपद के लॉगिन पर संस्थान द्वारा ही अग्रसारित किया जा सकेगा जब उन लाभार्थियों द्वारा पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणीकरण करा लिया गया हो। यदि उक्त निर्धारित दिनांक के पूर्व संस्थान द्वारा लाभार्थियों का डाटा वितरण हेतु जनपद स्तर पर अग्रसारित किया जा चुका है तो भी उन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के पश्चात ही जनपद स्तर से उन्हें वितरण हेतु चयनित किया जा सकेगा।

उक्त प्रक्रिया के सम्पादन हेतु विभाग स्तर से लॉक हुये लाभार्थियों के डिजीशक्ति पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एस.एम.एस. के माध्यम से

आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु लिंक भी उपलब्ध कराया जयेगा। साथ ही डिजीशक्ति की वेबसाइट https://digishakti.up.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से भी आधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में दिशानिर्देश डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध है।

सूच्य है कि Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर डिजीशक्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी से समन्वय कर अथवा अपने आधार कार्ड के विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन कराया जाना होगा। पोर्टल पर विवरण संशोधन कराये जाने की स्थिति में लाभार्थी का डाटा निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थान द्वारा पुनः वेरीफाई, विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा लॉक किये जाने की कार्यवाही की जानी होगी। उक्त किसी भी स्तर से डाटा की त्रुटिया ठीक कराने के पश्चात लाभार्थी द्वारा पुनः आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा।

आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित सभी संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी सभी छात्रों तक प्रभावी रुप से पहुँचायें जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे कि सभी लाभाथियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

03/9/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. नोडल अधिकारी, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. प्रभारी वेबसाइट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय के लॉगिन आई0डी0 पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

03/9/24

कुलसचिव